

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
9/18	212/RFA	क.स.म. 1059	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
के.न्यत	बनाम	का.स.म. 1059	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

10/18

वकील पुनः द्वारा एक नया अंतर्गत धारा 212/RFA विरुद्ध का.स.म. 1059 न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सही भा.स.म. 1059 के प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार के कार्यालय में... का.स.म. 1059 का तलब कर प्रकरण दिनांक 22/18 को पेश हो।

22/18

पत्रावली पेश हुई, राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट में पत्रावली का निर्णय/कार्यवाही नहीं हो पाई है, अतः पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 21/18 को पेश हो

31/18

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 4-9-18 को पेश हो।
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

4/18

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 16/10/18 को पेश हो।
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

16/18

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 23/11/19 को पेश हो।
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

23/19

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री श्री उमहिनत प्रतिवादी का के समस्त वाद तभील उपस्थित। पुनः तलबी हेतु तलबी भा.स.म. 1059 में। अतः तलबी/तलबी पत्रावली दिनांक 20/11/19 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

5/1/24

पतावली पेश हुई। वकील फार्म अनुपस्थित।
तीस वर आवक लगवाई गई। कोई उपस्थित
नहीं। प्रकरण अदालत हाजरी अदालत में रखी रखा
किताब जाता है। और पतावली फार्म होकर दाखिल
दफ्तर हो।

मी

मैं इसी तरह के सिविल में ही
मैं ही इसी तरह के सिविल में ही

पुप

मैं ही इसी तरह के सिविल में ही
मैं ही इसी तरह के सिविल में ही

मैं ही इसी तरह के सिविल में ही
मैं ही इसी तरह के सिविल में ही